PICUP 1949 HQ CAMP Date 12/12/19 LUCKNOW

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्या-775/77-6-19-पी-4/2013
लखनऊ : दिनांक: 11 दिसम्बर, 2019

भारत के संविधान के अनुच्छेद-162 के अधीन राज्य सरकार को प्रदत्त कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2003(यथा संशोधित) जो (शासनादेश संख्या- 3090/77-6-03-41 (टैक्स)/01 दिनांक 06.11.2003 एवं शासनादेश संख्या-2959/77-6-06-41-टैक्स/01 दिनांक 14.12.2006) द्वारा निर्गत की गई थी, के कतिपय प्रस्तरों में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली(सप्तम संशोधन)-2019

1- **संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ** (1)यह नियमावली औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली (सप्तम संशोधन)-2019 कही जायेगी।
(2) यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी।

2- **प्रस्तर-4 एवं प्रस्तर-5 के 5(1), 5(2) एवं 5(4) का प्रतिस्थापन** औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2003(यथा संशोधित) के प्रस्तरों में स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान प्राविधान के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया प्राविधान रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1			स्तम्भ-2
प्रस्तर संख्या	विद्यमान प्राविधान		एतद्दवारा प्रतिस्थापित प्राविधान
4	ऋण की सीमा (शासनादेश दिनांक 06.11.2003)	किसी वर्ष में ऋण की सीमा प्रस्तर 5(4) के प्राविधान के अनुरूप होगी जो किसी भी दशा में इकाई द्वारा उस वर्ष के वार्षिक विकय-धन पर उत्तर प्रदेश व्यापार-कर अधिनियम तथा केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान किए गये कर के योग की धनराशि अथवा उस वर्ष के वार्षिक विकय धन के 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।	किसी वर्ष में ऋण की सीमा प्रस्तर 5(4) के प्राविधान के अनुरूप होगी जो किसी भी दशा में इकाई द्वारा उस वर्ष के वार्षिक विकय-धन पर:- 1. उत्तर प्रदेश व्यापार-कर अधिनियम/ वैट तथा केन्द्रीय बिकीकर अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान किए गये कर के योग की धनराशि (दिनांक 30.06.2017 तक) **एवं** 2.जी.एस.टी. के अन्तर्गत राज्य के अंश की सीमा तक जमा करायी गयी नेट एस.जी.एस.टी.(इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि घटायें जाने के पश्चात) की धनराशि(दिनांक 01.07.2017 से प्रभावी) **अथवा** 3. उस वर्ष के वार्षिक विकय धन के 10

			प्रतिशत, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।
5	ऋण स्वीकृति तथा वसूली की प्रक्रिया: (शासनादेश दिनांक– 14.12.2006)	5(1) प्रत्येक वर्ष की समाप्ति की अग्रिम 30 सितम्बर तक पात्र इकाई ब्याजमुक्त ऋण हेतु प्रार्थना पत्र तथा अपने वार्षिक विवरण पत्रों की चार्टेड एकाउन्टेंट से प्रमाणित तीन प्रतियां पिकप/यूपीएफसी को देंगी। पात्र इकाई प्रार्थना पत्र देने के पूर्व नियमानुसार देय व्यापार कर एवं केन्द्रीय बिकीकर की धनराशि, नियमानुसार राजकीय कोषागार में जमा करेंगी।	5(1) प्रत्येक वर्ष की समाप्ति की अग्रिम 30 सितम्बर तक पात्र इकाई ब्याजमुक्त ऋण हेतु प्रार्थना पत्र तथा अपने वार्षिक विवरण पत्रों की चार्टेड एकाउन्टेंट से प्रमाणित तीन प्रतियां पिकप/यूपीएफसी को देंगी। पात्र इकाई प्रार्थना पत्र देने के पूर्व नियमानुसार देय व्यापार कर/ वैट एवं केन्द्रीय बिकीकर की धनराशि(दिनांक 30.06.2017 तक) एवं जी0एस0टी0 के अन्तर्गत राज्य के अंश की सीमा तक देय धनराशि (दिनांक 01.07.2017 से प्रभावी), नियमानुसार राजकीय कोषागार में जमा करेंगी।
	(शासनादेश दिनांक 06.11.2003)	5(2) पिकप/यूपीएफसी पात्र इकाई को नये पूंजी निवेश के माध्यम से निर्मित माल के उस वर्ष के वार्षिक विकय धन पर प्रस्तर 5(4) के प्राविधानों के अनुसार आगणित धनराशि अथवा उस वर्ष के वार्षिक विकय धन पर भुगतान किए गये उत्तर प्रदेश व्यापार कर तथा केन्द्रीय विकीकर के योग की धनराशि अथवा उस वर्ष के वार्षिक विकय धन के 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, के समतुल्य धनराशि ब्याजमुक्त ऋण के रूप में स्वीकृत करेंगे।	5(2) पिकप/यूपीएफसी पात्र इकाई को नये पूंजी निवेश के माध्यम से निर्मित माल के उस वर्ष के वार्षिक विकय धन पर प्रस्तर 5(4) के प्राविधानों के अनुसार आगणित धनराशि अथवा उस वर्ष के वार्षिक विकय धन पर भुगतान किए गये। 1. उत्तर प्रदेश व्यापार कर/ वैट तथा केन्द्रीय विकीकर के योग की धनराशि(दिनांक 30.06.2017 तक) एवं 2. जी.एस.टी. के अन्तर्गत राज्य के अंश की सीमा तक जमा करायी गयी नेट एस.जी.एस.टी.(इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि घटाए जाने के पश्चात) की धनराशि(दिनांक 01.07.2017 से प्रभावी) **अथवा** 3. उस वर्ष के वार्षिक विकय धन के 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, के समतुल्य धनराशि ब्याजमुक्त ऋण के रूप में स्वीकृत करेंगे।
	(शासनादेश दिनांक 14.12.2006)	5(4) ब्याजमुक्त ऋण के प्रतिशत का निर्धारण इकाई के नये पूँजी निवेश व ऐसे पूँजी निवेश से निर्मित माल के वार्षिक विकय धन के अनुपात के आधार पर उस वर्ष के वार्षिक विकय धन पर भुगतान किए गये उत्तर प्रदेश व्यापार–कर तथा	5(4) ब्याजमुक्त ऋण के प्रतिशत का निर्धारण इकाई के नये पूँजी निवेश व ऐसे पूँजी निवेश से निर्मित माल के वार्षिक विकय धन के अनुपात के आधार पर उस वर्ष के वार्षिक विकय धन पर भुगतान किए गये उत्तर प्रदेश व्यापार–कर/वैट तथा केन्द्रीय विकी–कर (दिनांक 30.06.2017 तक) एवं

		केन्द्रीय बिक्री–कर के योग की सीमा में रहते हुए निम्न सारिणी के अनुसार किया जाएगा जो किसी भी दशा में वार्षिक विक्रय धन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। अग्रेतर प्रतिबंध यह है कि सभी नयी वृहद औद्योगिक इकाईयों जिनमें 50 प्रतिशत से ज्यादा महिला कार्यरत हों अथवा 500 से अधिक महिलाएं स्थायी रूप नियुक्त हों अथवा जिनमें 25 प्रतिशत से ज्यादा अनुसूचित जाति/ जनजाति के कर्मचारी कार्यरत हों, को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अनुमन्य ब्याज रहित ऋण के अतिरिक्त वार्षिक विक्रय धन के 10 प्रतिशत अथवा प्रदत्त व्यापार कर व केन्द्रीय बिक्रीकर के योग, जो भी कम हो, की अधिकतम सीमा में रहते हुए 20 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याजमुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी।	जी0एस0टी0 के अन्तर्गत राज्य के अंश(दिनांक 01.07.2017 से प्रभावी) की सीमा तक जमा करायी गयी धनराशि की सीमा में रहते हुए मूल शासनादेश संख्या–3090/77–6–03–41(टैक्स)/01 दिनाक 6.11.2003 की सारिणी के अनुसार किया जाएगा जो किसी भी दशा में वार्षिक विक्रय धन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। अग्रेतर प्रतिबंध यह है कि सभी नयी वृहद औद्योगिक इकाईयों जिनमें 50 प्रतिशत से ज्यादा महिला कार्यरत हों अथवा 500 से अधिक महिलाएं स्थायी रूप नियुक्त हो अथवा जिनमें 25 प्रतिशत से ज्यादा अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारी कार्यरत हों, को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अनुमन्य ब्याज रहित ऋण के अतिरिक्त वार्षिक विक्रय धन के 10 प्रतिशत अथवा प्रदत्त व्यापार कर/ वैट व केन्द्रीय बिक्रीकर के योग (दिनाक 30.06.2017 तक) एव जी0एस0टी0 के अन्तर्गत राज्य के अंश की सीमा तक जमा करायी गयी नेट एस.जी.एस.टी (इनपुट टैक्स केडिट की धनराशि घटाये जाने के पश्चात्) की धनराशि (दिनाक 01.07.2017 से प्रभावी), जो भी कम हो, की अधिकतम सीमा में रहते हुए 20 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी।

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव,

संख्या-7750(1)/77-6-19-पी-4/2013, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उ.प्र. प्रयागराज।
2- मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
3- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 ।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
6- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।

8- प्रबन्ध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
9- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम, कानपुर।
10- औद्योगिक विकास विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्ष/निगम एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरणो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
11- विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
12- संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12 सी माल एवेन्यू, लखनऊ।
13- आयुक्त, व्यापार कर गोमती नगर, लखनऊ।
14- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग लखनऊ को नियमावली की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसकी 150 प्रतियाँ मुद्रित कराकर, औद्योगिक विकास अनुभाग-6 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
16- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
17- कर निबन्धन अनुभाग-2
18- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बाबू राम)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्या-165/77-6-15-पी-4/2013टी0सी0
लखनऊ : दिनांक 10 ~~जनवरी~~, 2015
फरवरी,

"भारत के संविधान" के अनुच्छेद 162 के अधीन राज्य सरकार को प्रदत्त कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करके औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2003 जो शासनादेश संख्या 3090/77-6-03-41(टैक्स)/01 दिनांक 06 नवम्बर, 2003 द्वारा बनाई गई थी, यथा संशोधित में निम्नलिखित संशोधन करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली (षष्टम् संशोधन), 2015

संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ	1(1) यह नियमावली औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली (षष्टम संशोधन), 2015 कही जायेगी। (2) यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी। (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
2- नियम-5(13) का संशोधन	औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली (पंचम संशोधन), 2014 के नियम-5(13) को निम्नवत् संशोधित कर दिया गया है।

वर्तमान नियम	संशोधित नियम
"5(13)- पात्र इकाई अपनी परिसम्पत्तियों का पिकप/यू.पी.एफ.सी के पक्ष में प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार उत्पन्न करेगी जो ऋण की धनराशि की सुरक्षा के लिये पर्याप्त हो। पिकप/यू.पी.एफ.सी. युक्तियुक्त कारणों को अभिलिखित करते हुए द्वितीय चार्ज के अतिरिक्त पात्र इकाई के साझेदारों, निदेशकों से अतिरिक्त जमानत अथवा	5(13) पात्र इकाई अपनी परिसम्पत्तियों पर पिकप/यू.पी.एफ.सी के पक्ष में प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार उत्पन्न करेगी जो ऋण की धनराशि की सुरक्षा के लिये पर्याप्त हो। पिकप/यू.पी.एफ.सी. युक्तियुक्त कारणों को अभिलिखित करते हुए द्वितीय प्रभार के अतिरिक्त पात्र इकाई के साझेदारों, निदेशकों से अतिरिक्त जमानत अथवा पर्सनल बाण्ड मांग सकते हैं। पात्र इकाई से प्रतिभूति की कमी को आवश्यकतानुसार कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में भूमि/भवन लेकर पूर्ण किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त इस प्रकार प्राप्त की गयी परिसम्पत्तियों की ग्रहणाधिकार (lien) सम्बन्धित विधिक औपचारिकताएं पिकप/यू.पी.एफ.सी. द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

[illegible] सकते हैं।”	
उक्त के अतिरिक्त पात्र इकाई द्वारा प्रतिभूति की कमी को निम्नवत् पूर्ण किया जा सकता है:-	ऋण की सुरक्षा हेतु ली जाने वाली प्रतिभूति के स्वरूप एवं मात्रा का निर्धारण पिकप/ यू.पी.एफ.सी. के निदेशक मण्डल द्वारा किया जायेगा।
	अथवा
(अ) इकाई द्वारा प्रतिभूति की कमी को कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में भूमि/भवन आदि देकर वांछित प्रतिभूति ऋण अनुपात पूर्ण कर लिया जाये।	इकाई द्वारा पब्लिक सेक्टर बैंक/शेड्यूल्ड बैंक, जो आर.बी.आई. द्वारा मान्य बैंक एजेन्सी हो से ब्याज मुक्त ऋण के समतुल्य बैंक गारन्टी (सम्पूर्ण ऋण अदायगी की अवधि के लिये) भी स्वीकार किया जा सकता है।
तथा	तथा
(ब) इकाई द्वारा पब्लिक सेक्टर बैंक/शेड्यूल्ड बैंक, जो आर.बी.आई. द्वारा मान्य बैंक एजेन्सी हो, से ब्याज मुक्त ऋण के समतुल्य बैंक गारन्टी (सम्पूर्ण ऋण अदायगी की अवधि के लिये)	ऋण की सुरक्षा तथा अदायगी के जोखिम को न्यूनतम किए जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा:- “ऋण की सुरक्षा के संबंध में जो भी गारण्टी ली जायेगी उसकी शुचिता एवं सापेक्षता पिकप/यू.पी.एफ.सी. द्वारा प्रमाणित की जायेगी व इसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगें। जिन प्रकरणों में भूमि को गारण्टी के रूप में लिया जायेगा, उनमें गारण्टी स्वीकार करने वाले अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह इस आशय की पुष्टि कर ले कि गारण्टी के रूप में दी जा रही भूमि हर प्रकार से भारमुक्त (**Encumbrances**) है।”

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव सह अवस्थापना एवं औद्योगिक
विकास आयुक्त,
उ0प्र0 शासन।

संख्याः 59(1)/77-6-11-41टैक्स/01

प्रेषक,

अनामिका सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग, उद्योग निदेशालय,
कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी, 2011

विषयः औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन विषयक शासनादेश संख्या-2974/77-6-2003-41टैक्स/01 दिनांक 6.11.2003 के साथ संलग्न औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली संख्या-3090/77-6-03-41टैक्स/01 दिनांक 6.11.03 के नियम 5(13) में संशोधन करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली संख्या-3090/ 77-6-03-41टैक्स/01 दिनांक 6.11.03 यथा संशोधित में आवश्यक संशोधन कर दिये गये है। अनुरोध है कि कृपया संलग्न नियमावली संख्या-59/77-6-06-41 टैक्स/01 दिनांक- 11 जनवरी, 2011 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

3- शासनादेश संख्या- 2974/77-6-03-41टैक्स/01 दिनांक 06.11.2003 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

संलग्नकः- यथोक्त।

भवदीया,

(अनामिका सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 वित्तीय निगम, कानपुर।
2- प्रबन्ध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमतीनगर,लखनऊ।
3- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12 सी माल एवेन्यू, लखनऊ।
4- आयुक्त ,व्यापार कर गोमती नगर, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
7- कर निदन्धन अनुभाग-2
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनामिका सिंह)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्या- 59/77-6-11-41-टैक्स/01
लखनऊः दिनांक- 11 जनवरी, 2011

"भारत के संविधान" के अनुच्छेद 162 के अधीन राज्य सरकार को प्रदत्त कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2003 जो शासनादेश संख्या-3090/77-6-03-41 (टैक्स)/01 दिनांक 06 नवम्बर, 2003 द्वारा बनाई गई थी, यथा संशोधित में निम्नलिखित संशोधन करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली (चतुर्थ संशोधन), 2011

संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ — 1(1) यह नियमावली औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली (चतुर्थ संशोधन), 2011 कही जावेगी।
(2) यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी।
(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2- नियम-5(13) का संशोधन — औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली- 2003 के नियम-5(13) को निम्नवत् संशोधित कर दिया गया है।

वर्तमान नियम	संशोधित नियम
"5(13)- पात्र इकाई अपनी परिसम्पत्तियों का पिकप/यू0पी0 एफ0सी0 के पक्ष में प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार उत्पन्न करेगी जो ऋण की धनराशि की सुरक्षा के लिए पर्याप्त हो। पिकप/यू0पी0 एफ0 सी0 युक्तियुक्त कारणों को अभिलिखित करते हुए द्वितीय चार्ज के अतिरिक्त पात्र इकाई के साझेदारों, निदेशकों से अतिरिक्त जमानत अथवा पर्सनल गारण्ड मांग सकते हैं।"	"5(13)- पात्र इकाई अपनी परिसम्पत्तियों का पिकप/यू0पी0एफ0सी0 के पक्ष में प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार उत्पन्न करेगी जो ऋण की धनराशि की सुरक्षा के लिए पर्याप्त हो। पिकप/यू0पी0एफ0सी0 युक्तियुक्त कारणों को अभिलिखित करते हुए द्वितीय चार्ज के अतिरिक्त पात्र इकाई के साझेदारों, निदेशकों से अतिरिक्त जमानत अथवा पर्सनल गारण्ड मांग सकते हैं।" उक्त के अतिरिक्त पात्र इकाई द्वारा प्रतिभूति की कमी को निम्नवत् पूर्ण किया जा सकता है:- (अ) इकाई द्वारा प्रतिभूति की कमी को कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में भूमि/भवन आदि देकर वांछित प्रतिभूति ऋण अनुपात पूर्ण कर लिया जावे। तथा (ब) इकाई द्वारा पब्लिक सेक्टर बैंक से व्याजमुक्त ऋण के समतुल्य बैंक गारण्टी (सम्पूर्ण ऋण अवधी की अवधि के लिए)

आज्ञा से,

(वी0एन0 गर्ग)
प्रमुख सचिव,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।

संख्या: 3052/77-6-06-41टैक्स/01

प्रेषक,

जे0पी0एन0द्विवेदी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग, उद्योग निदेशालय,
कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 14 दिसम्बर, 2006

विषय: औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन विषयक शासनादेश संख्या-2974/77-6-2003-41टैक्स/01 दिनांक 6.11.2003 के साथ संलग्न औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली संख्या-3090/77-6-03-41टैक्स/01 दिनांक 6.11.03 के कतिपय प्रस्तरों में संशोधन करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली संख्या-3090/77-6-03-41टैक्स/01 दिनांक 6.11.03 यथा संशोधित में आवश्यक संशोधन कर दिये गये है। अनुरोध है कि कृपया संलग्न नियमावली संख्या-2959/77-6-06-41 टैक्स/01 दिनांक 14 दिसम्बर, 2006 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

3- शासनादेश संख्या- 2974/77-6-03-41टैक्स/01 दिनांक 06.11.2003 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(जे0पी0एन0द्विवेदी)
अनुसचिव

संख्या व दिनांक तदैव

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 वित्तीय निगम, कानपुर।
2- प्रबन्ध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
3- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु- माल एवेन्यू, लखनऊ।
4- आयुक्त, व्यापार कर गोमती नगर, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
7- कर निबन्धन अनुभाग-2
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जे0पी0एन0द्विवेदी)
अनुसचिव

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्या-2959 /77-6-06-41-टैक्स/01
लखनऊ:दिनांक 14 दिसम्बर,2006

"भारत के संविधान" के अनुच्छेद 162 के अधीन राज्य सरकार को प्रदत्त कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2003 जो शासनादेश संख्या- 3090/77-6-03-41 (टैक्स)/01 दिनांक 06 नवम्बर, 2003 द्वारा बनाई गई थी, यथा संशोधित में निम्नलिखित संशोधन करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली (तृतीय संशोधन), 2006

संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ — 1(1) यह नियमावली औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली (तृतीय संशोधन), 2006 कही कही जायेगी।
(2) यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी।
(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2- नियम-2का संशोधन — औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली- 2003 के नियम-2 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान खण्ड-ग व घ (1) के स्थान पर स्तम्भ -2 में, एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड-ग व घ रख दिये जायेगें तथा खण्ड-ढ के पश्चात नया खण्ड-ड बढ़ा दिया जायेगा। अर्थात

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित किये जाने वाले नियम
ग- 'पात्र इकाई' का तात्पर्य ऐसी नई मेगा इकाई से है जिसके द्वारा निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि मार्च 11, 2003 को या उसके बाद पड़ती हो।	ग- 'पात्र इकाई' का तात्पर्य ऐसी नई मेगा इकाई से है जिसके द्वारा निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि मार्च 11, 2003 को या उसके बाद पड़ती हो। प्रतिबन्ध यह है कि पायनियर इकाई की दशा में पात्र इकाई ऐसी इकाई को माना जायेगा जिसके द्वारा निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि 1.1.03.2003 या उसके बाद पड़ती हो।
घ- मेगा इकाई का तात्पर्य निम्न प्रकार की इकाईयो से है:- (1) खाद्य प्रसंस्करण अथवा पशु सम्पदा आधारित ऐसी औद्योगिक इकाई जिसमें 10 करोड़ या अधिक का निवेश किया हो। प्रतिबन्ध यह है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थापित ऐसी इकाईयों जिनकी प्रथम बिक्री की तिथि 29.12.04 को या उसके बाद पड़ती हो तथा जिनमे पूंजी	घ- मेगा इकाई का तात्पर्य निम्न प्रकार की इकाईयो से है:- (1) खाद्य प्रसंस्करण अथवा पशु सम्पदा आधारित ऐसी औद्योगिक इकाई जिसमें 10 करोड़ या अधिक का निवेश किया हो।

निवेश रू0 5.00 करोड़ या अधिक हो, को भी मेगा इकाई माना जायेगा ।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा बढ़ाये जाने वाले नियम
ड- पायनियर इकाई से तात्पर्य किसी जनपद में स्थापित होने वाली प्रथम पात्र मेगा इकाई से है	"प्रतिबन्ध यह है कि पायनियर इकाई की दशा में ऐसी इकाई को पात्र माना जायेगा जिसके द्वारा निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि 11.03.2003 या उसके बाद पड़ती हो।"
	प्रतिबंध यह है कि किसी जनपद में प्रथम इकाई, ऐसी पात्र इकाई को माना जायेगा जिसके द्वारा निम्न शर्तें भी पूरी की जाय:-
	(1) जिसके द्वारा निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि जनपद में सर्वप्रथम पड़ती हो।
	(2) यदि एक से अधिक इकाईयों की बिक्री की प्रथम तिथि जनपद में एक ही दिन पड़ती हो तो ऐसी इकाई को प्रथम इकाई माना जायेगा जिसने सेक्रेटिरियट फार इण्डस्ट्रियल एप्रूवल, उद्योग मंत्रालय भारत सरकार से सर्वप्रथम आशय पत्र (एल.ओ.आई.) अथवा इच्छा पत्र (आई.ई.एम.) शामिल कर एकनोलेजमेन्ट प्राप्त कर लिया हो।
	पाइनियर इकाई की पात्रता का निर्धारण जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें संबंधित जनपद के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, व्यापार कर विभाग के नामित कर निर्धारण अधिकारी एवं जिलाधिकारी होंगें। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी जिस अधिकारी को उचित समझे, विशेष आमंत्री के रूप में समिति में नामित कर सकते है। पात्रता निर्धारण के उपरान्त पात्र इकाई को पात्रता प्रमाणपत्र जिलाधिकारी के द्वारा दिया जाएगा। पात्र पाइनियर इकाई पात्रता प्रमाणपत्र के साथ सिडको/यू.पी. एफ.सी. में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करेंगे ।

3- नियम-3 का संशोधन — औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के नियम-3 जो ब्याज मुक्त ऋण से संबंधित है में निम्नवत संशोधन किया जाता है:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा बढाये जाने वाले नियम
3-पात्र इकाइयों द्वारा नये पूंजी निवेश से निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि से 10 वर्ष तक होगी	3-पात्र इकाइयों द्वारा नये पूंजी निवेश से निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि से 10 वर्ष तक होगी किन्तु पायनियर इकाई के लिए नये पूंजी निवेश से निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि से 15 वर्ष तक की होगी।

4- नियम-5 का संशोधन — औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के नियम-5 में निम्नवत् संशोधन किये गये है:-

उक्त नियमावली में नियम-5 मे नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान उप नियम-(1), उप नियम-(4), उप नियम-(6) के स्थान प र स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम- (1),उप नियन-(4), उप नियम-(6) रख दिया जाएगा तथा पायनियर इकाईयों के लिए नियम-5(10) भी संशोधित हो जाएगा अर्थात-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित किये जाने वाले नियम
5(1) प्रत्येक वर्ष की समाप्ति की अगिम 30 सितम्बर तक पात्र इकाई ब्याज मुक्त ऋण हेतु प्रार्थना पत्र तथा अपने वार्षिक विवरण पत्रों की चार्टेड एकाउंटेट से प्रमाणित तीन प्रतियां पिकप/ यू.पी.एफ.सी. को देगी। पिकप द्वारा वित्त पोषित इकाइयों ब्याज मुक्त ऋण हेतु प्रार्थना पत्र पिकप को देगी तथा शेष इकाइयों द्वारा ऐसा प्रार्थना पत्र यू.पी.एफ.सी. को दिया जाएगा । पात्र इकाई प्रार्थना पत्र देने के पूर्व स्वीकृत व्यापार कर तथा केन्द्रीय बिक्रीकर की धनराशि, नियमानुसार राजकीय कोषागार में जमा करेगी।	5(1) प्रत्येक वर्ष की समाप्ति की अगिम 30 सितम्बर तक पात्र इकाई ब्याज मुक्त ऋण हेतु प्रार्थना पत्र तथा अपने वार्षिक विवरण पत्रों की चार्टेड एकाउंटेट से प्रमाणित तीन प्रतियां पिकप/ यू.पी.एफ.सी. को देगी। पात्र इकाई प्रार्थना पत्र देने के पूर्व नियमानुसार देय व्यापार कर एवं केन्द्रीय बिक्रीकर की धनराशि, नियमानुसार राजकीय कोषागार में जमा करेगी। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम एवं पिकप के पक्ष इकाईयों का वर्गीकरण निम्न प्रकार होगा:-

उ0प्र0वित्तीय निगम	पिकप
(1) किसी भी जनपद में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण अथवा पशु सम्पदा पर आधारित ऐसी औद्योगिक इकाईयां जिनमें 5-15 करोड़ तक का पूंजी निवेश किया गया हो।	किसी भी जनपद में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण अथवा पशु सम्पदा पर आधारित ऐसी औद्योगिक इकाईयां जिनमें 15 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो।
(2) किसी भी जनपद में स्थापित होने वाली इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र की इकाईयां जिसमें 10 से 15 करोड़ तक का पूंजी निवेश किया गया हो।	किसी भी जनपद में स्थापित होने वाली इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र की इकाईयां जिनमें 15.00 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो।
(3) उपरोक्त (1) व (2) के अतिरिक्त पूर्वांचल व बुन्देलखण्ड में स्थापित होने वाली ऐसी औद्योगिक इकाईयां जिसमें 10-15 करोड़ तक पूंजी निवेश किया गया हो।	उपरोक्त (1) व (2) के अतिरिक्त पूर्वांचल व बुन्देलखण्ड में स्थापित होने वाली ऐसी औद्योगिक इकाईयां जिनमें 15 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो।
(4) उपरोक्त (1), (2) व (3) के अतिरिक्त किसी भी जनपद में स्थापित होने वाली सभी प्रकार की औद्योगिक इकाईया जिनमें 25-30 करोड़ तक का पूंजी निवेश किया गया हो।	उपरोक्त (1), (2) व (3) के अतिरिक्त किसी भी जनपद में स्थापित होने वाली सभी प्रकार की औद्योगिक इकाईयां जिनमें 30 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो।

यदि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम अथवा पिकप ने किसी इकाई को स्वयं वित्त पोषित भी किया हो तो उपरोक्तानुसार सीमा से बाहर होते हुए भी दूसरे निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर वह इस योजना में वित्त पोषित कर सकते है। ऐसा करना कार्यहित / उद्योग हित / निगम हित में होगा।

5(4) ब्याज मुक्त ऋण के प्रतिशत का निर्धारण इकाई के नये पूंजी निवेश व ऐसे पूंजी निवेश से निर्मित माल के वार्षिक विक्रय धन के अनुपात के आधार पर उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन पर भुगतान किये गये उत्तर प्रदेश व्यापार कर तथा केन्द्रीय विक्रीकर के योग की सीमा में रहते हुए निम्न सारणी के अनुसार किया जाएगा जो किसी भी दशा में वार्षिक विक्रय धन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा

5(4) ब्याज मुक्त ऋण के प्रतिशत का निर्धारण इकाई के नये पूंजी निवेश व ऐसे पूंजी निवेश से निर्मित माल के वार्षिक विक्रय धन के अनुपात के आधार पर उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन पर भुगतान किये गये उत्तर प्रदेश व्यापार कर तथा केन्द्रीय विक्रीकर के योग की सीमा में रहते हुए निम्न सारणी के अनुसार किया जाएगा जो किसी भी दशा में वार्षिक विक्रय धन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

प्रतिबंध यह है कि पायनियर इकाईयों को प्रथम बिक्री की तिथि से 10 वर्ष के स्थान पर 15 वर्ष के लिए ब्याजमुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी। जिसकी वापसी ऋण वितरण के ठीक 10 वर्ष की समाप्ति के बाद होगी। शेष शर्तें यथावत बनी रहेंगी।

अग्रेतर प्रतिबंध यह है कि सभी नयी वृहद औद्योगिक इकाईयों जिनमें 50 प्रतिशत से ज्यादा महिला कार्यरत हो अथवा 500 से अधिक महिलाएं स्थाई रूप से नियुक्त हो अथवा जिनमें 25 प्रतिशत से ज्यादा अनुसूचित जाति/ जनजाति के कर्मचारी कार्यरत हों, को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अनुमन्य ब्याज रहित ऋण के अतिरिक्त वार्षिक विक्रय धन के 10 प्रतिशत अथवा प्रदत्त व्यापार कर व केन्द्रीय बिक्री कर के योग, जो भी कम हो, की अधिकतम सीमा में रहते हुए 20 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी।

5(6) पिकप/यू.पी.एफ.सी ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृति आदेश की प्रति औद्योगिक विकास विभाग तथा पात्र इकाई को भेजेगें। बुन्देलखण्ड व पूर्वान्चल में स्थापित होने वाली इकाईयों के संबंध में योजनान्तर्गत ऋण हेतु धनराशि बुन्देलखण्ड व पूर्वान्चल विकास निधि से उपलब्ध कराई जायेगी एवं केवल अन्य जनपदों में स्थापित होने वाली इकाईयों हेतु आवश्यक धनराशि औद्योगिक विकास विभाग आवश्यकतानुसार पिकप/ यू.पी. एफ.सी. को उपलब्ध करायेगें ।	5(6) पिकप/यू.पी.एफ.सी ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृति आदेश की प्रति औद्योगिक विकास विभाग तथा पात्र इकाई को भेजेगें । वांछित धनराशि की बजट व्यवस्था औद्योगिक विकास विभाग द्वारा आवंटित कराकर पिकप/यू.पी.एफ.सी. को यथावश्यकता उपलब्ध कराई जायेगी।
5(10) वितरित किये गये गये ऋण की वापसी ऋण वितरण की तिथि के 7 वर्ष की समाप्ति के ठीक बाद की तिथि तक पात्र इकाई द्वारा पिकप/यू0पी0एफ0सी0 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी।	5(10) वितरित किये गये गये ऋण की वापसी ऋण वितरण की तिथि के 7 वर्ष की समाप्ति के ठीक बाद की तिथि तक पात्र इकाई द्वारा पिकप/यू0पी0एफ0सी0 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी। किन्तु पायनियर इकाई के लिए ऋण की वापसी ऋण वितरण की तिथि के ठीक 10 वर्ष की समाप्ति के ठीक बाद की तिथि तक पात्र इकाई द्वारा पिकप/यू0पी0एफ0सी0 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी।

5- नियम-10 मे संशोधन — उक्त नियमावली में नियम-10 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये गये विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम-10 रख दिया जायेगा। अर्थात-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित किये जाने वाले नियम
10 ब्याज मुक्त ऋण मे आने वाले सभी व्यय जिसमें विधिक विलेख निष्पादित करने में आने वाले व्यय, स्टैम्प शुल्क, अधिवक्ता, सॉलिस्टर शुल्क व अन्य अनुषांगिक व्यय शामित है, पात्र इकाई द्वारा अग्रिम रूप में देय होगा।	10 ब्याज मुक्त ऋण मे आने वाले सभी व्यय जिसमें विधिक विलेख निष्पादित करने में आने वाले व्यय, स्टैम्प शुल्क, अधिवक्ता, सॉलिस्टर शुल्क व अन्य अनुषांगिक व्यय शामित है, के अतिरिक्त दो प्रतिशत प्रशासनिक व्यय भी पात्र इकाई द्वारा अग्रिम रूप में देय होगा।

आज्ञा से,

(अतुल कुमार गुप्ता)
औद्योगिक विकास आयुक्त
एवं पदेन सचिव

संख्या 1903/77-6-2005-41टैक्स/01

प्रेषक,

नरेन्द्र भूषण,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
कानपुर।

UPJ/05/8029
02-8-05

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 21 जुलाई, 2005

विषयः दिनांक 11.03.2003 से 05.11.2003 तक की अवधि में पात्र इकाईयों को टर्न ओवर के आधार पर ब्याज मुक्त ऋण दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, शासनादेश संख्या- 730/77-6-04-41टैक्स/01 दिनांक 18.03.05 के परिपेक्ष्य में प्रश्नगत प्रकरण में लिये गये निर्णयानुसार संख्या-1776/77-6-05-41टैक्स/01 दिनांक 21 जुलाई, 2005 द्वारा प्रवृत्त औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) नियमावली- 2005 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

2- प्रश्नगत प्रकरण में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2003 के नियम-13 के स्थान पर उक्त संलग्न औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) नियमावली 2005 द्वारा प्रतिस्थापित नियम- 13 में यह प्राविधान किया गया है कि इस नियमावली में किसी अन्यथा प्राविधान के होते हुए भी ऐसी पात्र मेगा इकाईयो जिनकी प्रथम बिक्री की तिथि 11.03.03 से 5.11.03 के बीच थी, जिन्होंने नियम 5 (1) के अनुसार दिनांक 30.09.04 तक ब्याज मुक्त ऋण हेतु नियम 5(6) में उल्लिखित प्राविधानों का पालन नहीं किया था को इकाई के वार्षिक विक्रय धन का 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जायेगा तथा ऐसा ऋण व्यापार कर एवं केन्द्रीय बिक्री कर के रूप में भुगतान की गयी धनराशि में सीमित नहीं होगा । नियम 5(1) के प्राविधान ऐसी इकाईयों के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे किन्तु इस नियमावली के अन्य प्राविधान ऐसी इकाईयों पर यथावत प्रभावी रहेंगे । यह भी प्राविधान किया गया है कि उल्लिखित 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत ब्याज मुक्त

ऋण निर्धारण उ0 प्र0 वित्तीय निगम तथा पिकप द्वारा संलग्न नियमावली के स्तम्भ -2 में उल्लिखित सारणी के अनुसार किया जायेगा जो किसी भी दशा में वार्षिक विक्रय धन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

3. कृपया संलग्न नियमावली के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

संलग्नक - यथोक्त ।

भवदीय,

(नरेन्द्र भूषण)
विशेष सचिव।

संख्या: 1903(1) /77-6-2005-41टैक्स /01 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

(1) प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 वित्तीय निगम, कानपुर ।
(2) प्रबन्ध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ ।
(3) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12 माल एवेन्यू, लखनऊ।
(4) आयुक्त व्यापार कर, गोमती नगर, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-6
(6) वित्त (आय व्ययक) अनुभाग -1
(7) कर निबन्धन अनुभाग- 2
(8) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(काली एस0एन0मुक्कर)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्या-1726/77-6-05-41 टैक्स/01
लखनऊ : दिनांक : 21 जुलाई 2005

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 162 के अधीन राज्य सरकार को प्रदत्त कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2003 जो शासनादेश संख्या-3090/77-6-03-41(टैक्स)/01 दिनांक 06 नवम्बर, 2003 द्वारा बनाई गई थी, में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) नियमावली, 2005

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

1(1) यह नियमावली औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) नियमावली, 2005 कही जायेगी।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 13 का संशोधन

2 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2003 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-13 के स्थान पर स्तम्भ-2 में किया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
13-अपवाद-नियमावली में किसी अन्यथा प्राविधान के होते हुए भी ऐसी पात्र नेगा इकाईयो जिनकी प्रथम बिक्री की तिथि 11.03.2003 से 05.11.2003 के बीच हो, जिन्होंने नियमावली के प्रस्तर-5 (1) के अनुसार दिनांक 30.09.2004 तक ब्याज मुक्त ऋण हेतु प्रस्तर-5(6) में उल्लिखित प्राधिकारी को प्रार्थना-पत्र दिया हो, को इकाई के वार्षिक विक्रय धन का न्यूनतम् 5 प्रतिशत ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जायेगा तथा ऐसा ऋण व्यापार-कर एवं केन्द्रीय बिक्री कर के रूप में भुगतान की गयी धनराशि से सीमित नहीं होगा। नियमावली के प्रस्तर-5(4) के प्राविधानें ऐसी इकाईयों के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे किन्तु नियमावली के अन्य प्राविधान ऐसी इकाईयों पर यथावत् प्रभावी रहेंगे।	13-अपवाद-इस नियमावली में किसी अन्यथा प्राविधान के होते हुए भी ऐसी पात्र नेगा इकाईयो जिनकी प्रथम बिक्री की तिथि 11.03.2003 से 05.11.2003 के बीच हो, जिन्होंने नियम-5(1) के अनुसार दिनांक 30.09.2004 तक ब्याज मुक्त ऋण हेतु नियम 5(6) में उल्लिखित प्राधिकारी को प्रार्थना-पत्र दिया हो, को इकाई के वार्षिक विक्रय धन का 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जायेगा तथा ऐसा ऋण व्यापार-कर एवं केन्द्रीय बिक्री कर के रूप में भुगतान की गयी धनराशि से सीमित नहीं होगा। नियम-5(4) के प्राविधान ऐसी इकाईयों के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे किन्तु इस नियमावली के अन्य प्राविधान ऐसी इकाईयों पर यथावत् प्रभावी रहेंगे। अतिरिक्त 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत ब्याज मुक्त ऋण का निर्धारण यू.पी.एफ.सी. तथा विक्रय द्वारा निम्न तालिका के अनुसार किया जायेगा जो किसी भी दशा में वार्षिक विक्रय धन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(13)

स्तम्भ-1

स्तम्भ-2

रूपये (करोड़ में)

सारणी (परिकल्पित आंकड़े)

पूँजी निवेश	वार्षिक विक्रय धन	पूँजी निवेश/वार्षिक विक्रय धन का अनुपात	ब्याज मुक्त ऋण (वार्षिक विक्रय धन के प्रतिशत के रूप में में)
10.00	10.00 या कम	10 :10 या उससे कम	5x10/10=5% प्रतिशत
10.00	12.00	10:12	5X12/10=6%
10.00	15.00	10:15	5x15/10=7.5%
10.00	20.00 या अधिक	10:20	5X20/10=10%

आज्ञा से,

(रवीन्द्र सिंह)
प्रमुख सचिव
औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

-15-

-19-

संख्याः 730 /77-6-04-41 [illegible]-01

प्रेषक,
रवीन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

FICUP [illegible] office:
UP9/05/5486
23-03-05

सेवा में,
आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 18 मार्च, 2005

विषयः दिनांक- 11-3-03 से 5-11-03 तक की अवधि में पात्र इकाईयों [illegible] ओवर के आधार पर ब्याज मुक्त ऋण दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन विषयक शासनादेश संख्या 3806 / 77-6-02- 41टैक्स/01 दिनांक 11.03.03 व शासनादेश संख्या 2974 /77-6-02-41टैक्स/ 01 दिनांक 06.11.03 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 11.3.03 से 05.11.03 तक की अवधि में पात्र इकाईयों को टर्न ओवर के आधार पर ब्याज मुक्त ऋण दिये जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि :-

" औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2003 के प्रस्तर -5(4) में प्राविधानित विक्रयधन के 5-10 प्रतिशत के स्थान पर जनहित में न्यूनतम 5 प्रतिशत ब्याज मुक्त ऋण टर्न ओवर के आधार पर देय होगा। ऐसे ऋण को व्यापार कर एवं केन्द्रीय बिक्री कर के रूप में भुगतान की गयी धनराशि के योग की सीमा तक सीमित करने की आवश्यकता नहीं होगी "

-16-

(11)

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-६
संख्या- 674/77-6-05-41टैक्स /01
लखनऊ : दिनांक 18 मार्च, 2005

भारत के संविधान के अनुच्छेद-162 के अन्तर्गत राज्य सरकार को दी गयी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल शासनादेश संख्या 3090 /77-6-03- 41टैक्स /01 दिनांक 06-11-2003 के साथ संलग्न औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2003 को निम्नलिखित प्रकार से संशोधित करते हैं :-

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन(संशोधन)नियमावली,2005

1.संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1(1) यह नियमावली औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) (प्रथम) नियमावली, 2005 कही जाएगी ।

1(2) यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी ।

1(3) यह दिनांक 11.3.03 से 5.11.03 के मध्य की पात्र इकाइयों पर प्रभावी होगी

2. नये नियम 13 को बढाया जाना

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2003 जिसे आगे उक्त नियामवली कहा गया है के नियम-12 के पश्चात स्तम्भ-2 में नया नियम- 13 बढ़ा दिया जायेगा । अर्थात-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ- 2 एतद्द्वारा बढाया गया नियम
	13- अपवाद- "नियमावली में किसी अन्यथा प्रावधान के होते हुये भी ऐसी पात्र मेगा इकाईयों जिनकी प्रथम बिक्री की तिथि-11.3.03 से 5.1103 के बीच हो, जिन्होने नियमावली के प्रस्तर-5 (1) के अनुसार दि0- 30.9.04 तक ब्याज मुक्त ऋण हेतु प्रस्तर - 5 (6) में अंकित

संख्या: [illegible] /77-6-2004-9 जी/ 0

प्रेषक,

[illegible]
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
उ0प्र0 वित्तीय निगम,
कानपुर।

2 प्रबंध निदेशक,
पिकप, पिकपभवन,
गोमती नगर, लखनऊ।

PICUP office :
Diarised 281
Date 24.02.07
Sign.

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक [illegible] फरवरी, 2004

विषय: औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या- 2974 / 77-6-03-41 एसए / 01 [illegible] 6.11.03 जो आपको इस अनुरोध के साथ पृष्ठांकित है कि प्रदेश के जनपदों को उक्त [illegible] की जानकारी भी प्रसारित करने की व्यवस्था करें, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2 इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह आया है कि उक्त योजना का व्यापक प्रचार / प्रसार नहीं हुआ है जिसके कारण संबंधित को योजना का लाभ [illegible] नहीं रहा है। अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त योजना का व्यापक प्रचार/ प्रसार [illegible] कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, ताकि वांछित / सम्बंधित को योजना का पूर्ण [illegible] सकें।

भवदीय,

[illegible]
विशेष सचिव

-18-
-22-

संख्याः 2974 /77-6-2003-41 टैक्स/ 01

प्रेषक,

राकेश गर्ग
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग , उ०प्र०
उद्योग निदेशालय,
कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 06 नवम्बर, 2003

विषयः औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 3806/ 77-6-2002-41 टैक्स/ 01 दिनांक- 11 मार्च, 2003 को अतिक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा संशोधित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है।

2- प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाली खाद्य प्रसंस्करण व पशु सम्पदा आधारित ऐसी नई मेगा इकाइयों जिनमें रू0 10 करोड़ या अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो , बुन्देलखण्ड व पूर्वांचल में स्थापित होने वाली सभी ऐसी नई मेगा औद्योगिक इकाइयों जिनमें रू0 10.00 करोड़ या उससे अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो; खाद्य प्रसंस्करण व पशु सम्पदा आधारित इकाइयों को छोड़कर शेष जनपदों में स्थापित होने वाली अन्य सभी ऐसी नई मेगा औद्योगिक इकाइयों जिनमें रू0 25 करोड़ या अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो , को नए पूंजी निवेश से निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि से 10 वर्ष की अवधि के लिए संलग्न नियमावली की शर्तों व निर्बन्धों के अन्तर्गत ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जायेगा जिसका भुगतान ऋण वितरण की तिथि से 7 वर्ष पश्चात देय होगा।

3- यह योजना पिकप तथा उ0प्र0 वित्तीय निगम के माध्यम से क्रियान्वित की जायेगी। योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक बजट बुन्देलखण्ड व पूर्वांचल में स्थापित होने वाली इकाईयों के सम्बंध में योजनान्तर्गत ऋण हेतु धनराशि बुन्देलखण्ड व पूर्वांचल विकास निधि से उपलब्ध कराई जाएगी एवं अन्य जनपदों में स्थापित होने वाली इकाइयों से आवश्यक धनराशि औद्योगिक विकास विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार पिकप/ यू0पी0 एफ0सी0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

4 कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(राकेश गर्ग)
सचिव

<u>संख्या:-2974 (1)/ 77-6-2003 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- आयुक्त , व्यापार कर विभाग।

2- प्रमुख सचिव, व्यापार कर विभाग,

3- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम तथा प्रबंध निदेशक, पिकप को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर प्रदेश के जनपदों को उक्त योजना की जानकारी भी प्रसारित करने की व्यवस्था करें।

4 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग 6

5 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग 4

6- कर एवं निबंधन अनुभाग-2

7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्रा)

विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-६
संख्या: ३०१०/७७-६-०३-४१(टैक्स)०१
लखनऊ: दिनांक : 6/11/ २००३

भारत के संविधान के अनुच्छेद-162 के अन्तर्गत राज्य सरकार को दी गयी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुये शासनादेश संख्या:3806/77--6-2002-41 (टैक्स)/01, दिनांक मार्च 11, 2003 के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश में मेगा इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन देने तथा उत्पादन के प्रारम्भिक वर्षों में कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने हेतु राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-२००३

१. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ:

1(1) यह नियमावली औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2003 कही जाएगी।

1(2) यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी।

1(3) यह दिनांक नवम्बर 6, 2003 से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

क. 'बिक्री की प्रथम तिथि' का तात्पर्य चार्टेड एकाउन्टेंट से प्रमाणित, नये पूँजी निवेश के माध्यम से निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि से है।

ख. 'पूँजी निवेश' का तात्पर्य भूमि, भवन, प्लांट, मशीनरी तथा पूँजीगत परिसम्पत्तियों में किये गये ऐसे निवेश से है जिसके माध्यम से निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि दिनांक 11.3.03 को या उसके बाद पड़ती हो।

ग. 'पात्र इकाई' का तात्पर्य ऐसी नई मेगा इकाई से है जिसके द्वारा निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि मार्च 11, 2003 को या उसके बाद पड़ती हो।

घ. 'मेगा इकाई' का तात्पर्य निम्न प्रकार की इकाईयों से है :-

(i) खाद्य प्रसंस्करण अथवा पशु सम्पदा आधारित ऐसी औद्योगिक इकाई जिसमें 10 करोड़ या अधिक का पूँजी निवेश किया गया हो:

(ii) पूर्वांचल व बुन्देलखण्ड में स्थापित ऐसी औद्योगिक इकाईयाँ जिनमें 10 करोड़ रुपये या अधिक का पूँजी निवेश किया गया :

(iii) अन्य जनपदों में स्थापित सभी प्रकार की औद्योगिक इकाईयां जिनमें 25 करोड़ रुपये या अधिक का पूँजी निवेश किया गया हो।

ङ. पूर्वांचल का तात्पर्य अनुलग्नक-1 में उल्लिखित जनपदों से है।

च. बुन्देलखण्ड का तात्पर्य अनुलग्नक-2 में उल्लिखित जनपदों से है।

छ. 'वार्षिक विक्रय धन' का तात्पर्य पात्र इकाई द्वारा किये गये नये पूँजी निवेश से निर्मित माल की दिनांक 01 अप्रैल अथवा, यथास्थिति, बिक्री की प्रथम तिथि से अग्रिम 31 मार्च की अवधि में की गयी बिक्री से है।

ज. पिकप का तात्पर्य दि प्रदेशीय इन्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन ऑफ यू.पी. लिमिटेड से है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत

एक सरकारी कम्पनी है।

झ यू.पी.एफ.सी. का तात्पर्य उत्तर प्रदेश फाइनेन्शियल कारपोरेशन से है जो राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा-3 के तहत गठित वित्तीय निगम है।

ञ. 'ऋण वितरण की तिथि' का तात्पर्य उस तिथि से है जिस दिन पिकप/यू.पी.एफ.सी. द्वारा इकाई को चेक उपलब्ध करा दिया जाय।

ट 'ऋण भुगतान की तिथि' उस तिथि को माना जाएगा जिस दिन इकाई द्वारा पिकप/ यू.पी.एफ.सी. को बैंक ड्राफ्ट उपलब्ध करा दिया जाय।

ठ. 'वर्ष' का तात्पर्य दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि से है।

३ ब्याज मुक्त ऋण की अवधि: पात्र इकाइयों द्वारा नये पूँजी निवेश से निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि से 10 वर्ष तक होगी।

४ ऋण की सीमा: किसी वर्ष में ऋण की सीमा प्रस्तर 5(4) के प्राविधान के अनुरूप होगी जो किसी भी दशा में इकाई द्वारा उस वर्ष के वार्षिक विक्रय-धन पर उत्तर प्रदेश व्यापार-कर अधिनियम तथा केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान किये गये कर के योग की धनराशि अथवा उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन के 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

५ ऋण स्वीकृति तथा वसूली की प्रक्रिया: 5(1) प्रत्येक वर्ष की समाप्ति की अग्रिम 30 सितम्बर तक पात्र इकाई ब्याज मुक्त ऋण हेतु प्रार्थना पत्र तथा अपने वार्षिक विवरण पत्रों की चार्टर्ड एकाउन्टेंट से प्रमाणित तीन प्रतियाँ पिकप/यू.पी.एफ.सी. को देगी। पिकप द्वारा चिन्हित इकाइयाँ ब्याज मुक्त ऋण हेतु प्रार्थना पत्र पिकप को देगी तथा शेष इकाइयों द्वारा ऐसा प्रार्थना पत्र यू.पी.एफ.सी. को दिया जाएगा। पात्र इकाई प्रार्थना पत्र देने के पूर्व स्वीकृत व्यापार कर तथा केन्द्रीय बिक्रीकर की धनराशि, निर्धारणानुसार राजकीय कोषागार में जमा करेगी।

5(2) पिकप/यू.पी.एफ.सी. पात्र इकाई को नये पूँजी निवेश के माध्यन से निर्मित माल के उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन पर प्रस्तर5(4) के प्राविधानों के अनुसार आगणित धनराशि अथवा उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन पर भुगतान किये गये उत्तर प्रदेश व्यापार कर तथा केन्द्रीय बिक्रीकर के योग की धनराशि अथवा उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन के 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, के समतुल्य धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में स्वीकृत करेगें।

5(3) प्रबन्ध निदेशक पिकप / यू.पी.एफ.सी. का यह दायित्व होगा कि ब्याज मुक्त ऋण हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण प्रार्थना पत्र के प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कर दिया जाए। प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किये जाने की दशा में अस्वीकरण के कारणों का उल्लेख करते हुये इकाई को अग्रिम एक सप्ताह में लिखित रूप से सूचित कर दिया जाएगा। अस्वीकरण के विरुद्ध इकाई सचिव, औद्योगिक विकास विभाग को प्रार्थना पत्र दे सकती है जिस पर निर्णय प्रस्तर-12 में गठित समिति द्वारा इकाई को सुनवाई का अवसर देने के बाद लिया जाएगा।

5(4) ब्याज मुक्त ऋण के प्रतिशत का निर्धारण इकाई के नये पूँजी निवेश व ऐसे पूँजी निवेश से निर्मित माल के वार्षिक विक्रय धन के अनुपात के आधार पर उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन पर भुगतान किये गये उत्तर प्रदेश व्यापार-कर तथा केन्द्रीय बिक्रीकर के योग को ध्यान में रखते हुए निम्न अनुसूची

के अनुसार किया जाएगा जो किसी भी दशा में वार्षिक विक्रय धन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

रुपये (करोड़ में) सारिणी (परिकल्पित आँकड़े)

पूँजी निवेश	वार्षिक विक्रय धन	पूँजी निवेश /वार्षिक विक्रय धन का अनुपात	ब्याज मुक्त ऋण (वार्षिक विक्रय धन के प्रतिशत के रूप में)
10.00	10.00 या कम	10 : 10 या उससे कम	5x10/10=5% प्रतिशत
10.00	12.00	10 : 12	5x12 /10=6%
10.00	15.00	10 : 15	5x15 /10=7.5%
10.00	20.00 या अधिक	10 : 20	5x20 /10=10%

5(5) ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा का लाभ उठाने के पश्चात ऋण भुगतान की अंतिम तिथि के अगले 5 वर्ष तक इकाई बन्द न कर दी जावे इस हेतु व्यवस्था एम.ओ.यू. के माध्यम से पिकप / यू.पी.एफ.सी. द्वारा की जायेगी।

5(6)पिकप/यू.पी.एफ.सी. ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृति आदेश की प्रति औद्योगिक विकास विभाग तथा पात्र इकाई को भेजेंगे। बुन्देलखण्ड व पूर्वान्चल में स्थापित होने वाली इकाइयों के सम्बन्ध में योजनान्तर्गत ऋण हेतु धनराशि बुन्देलखण्ड व पूर्वान्चल विकास निधि से उपलब्ध कराई जायेगी एवं केवल अन्य जनपदों में स्थापित होने वाली इकाइयों हेतु आवश्यक धनराशि औद्योगिक विकास विभाग आवश्यकतानुसार पिकप/यू0पी0एफ0सी को उपलब्ध करायेंगे।

5(7) पिकप/यू.पी.एफ.सी. को स्वीकृत ऋण राशि लेखा शीर्षक वित्त विभाग द्वारा बाद में आवंटित किया जाएगा।

5(8) प्रत्येक वर्ष वसूल हुये ऋण तथा ब्याज को उसी वर्ष में उपरोक्त ऋण लेखा शीर्षक के प्राप्ति पक्ष में जमा किया जायेगा।

5(9)औद्योगिक विकास विभाग उपरोक्त ऋण लेखा शीर्षक के नियंत्रक व प्राक्कलन अधिकारी होंगे। वह लेखा शीर्षक के बजट तथा पुनरीक्षित अनुमान प्रस्तावित करेंगे तथा आवश्यकतानुसार अनुपूरक मांग का प्रस्ताव करेंगे।

5(10) वितरित किये गये ऋण की वापसी ऋण वितरण की तिथि के 7 वर्ष की समाप्ति की ठीक बाद की तिथि तक पात्र इकाई द्वारा पिकप/ यू.पी.एफ.सी. को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से की जाएगी।

5(11)निर्धारित अवधि में ऋण की राशि वापस न करने पर पात्र इकाई को देरी की अवधि के लिये 1.25 प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज देना होगा। प्रत्येक माह अथवा उसके भाग को इस हेतु एक माह माना जायेगा।

5(12)ब्याज मुक्त ऋण योजना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये इकाई द्वारा वापस की गई धनराशि का मुजरा पहले मूलधन में किया जाएगा। उसके पश्चात अवशेष धनराशि का मुजरा देय ब्याज, यदि कोई हो, में किया जाएगा।

5(13) पात्र इकाई अपनी परिसम्पत्तियों पर पिकप/यू.पी.एफ.सी. के पक्ष में प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार उत्पन्न करेंगी जो ऋण की धनराशि की सुरक्षा के लिये पर्याप्त हो। पिकप/यू.पी.एफ.सी. युक्तियुक्त कारणों को अभिलिखित करके

हुये द्वितीय चार्ज के अतिरिक्त पात्र इकाई के साझेदारों, निदेशकों से अतिरिक्त ज़मानत अथवा पर्सनल-बॉण्ड मांग सकते हैं।

5(14) निर्धारित तिथि पर भुगतान न किये जाने की दशा में पिकप/यू.पी.एफ.सी. पात्र इकाई को कारण बताओ नोटिस देंगे तथा संतोषजनक उत्तर न प्राप्त होने पर इकाई के विरूद्ध बकाया धनराशि की भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु 'वसूली प्रमाण-पत्र' जारी करेंगे तथा आवश्यकतानुसार न्यायालय में वाद भी दायर करेंगें या अन्य समुचित विधिक कार्यवाही करेंगें व लिमिटेड कम्पनी की दशा में उसकी वाइन्डिंग-अप के लिये सक्षम न्यायालय से अनुरोध करेंगें।

5(15) पिकप/यू.पी.एफ.सी. द्वारा अधिकृत अधिकारी पात्र इकाई की फैक्ट्री, दुकान, गोदाम वाहन तथा अभिलेखों का निरीक्षण कर सकते हैं जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि इकाई द्वारा योजना की शर्तो का उल्लंघन तो नही किया जा रहा है।

5(16) इस योजना के अन्तर्गत ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उन्हीं पात्र इकाइयों को स्वीकृत की जाएगी जो राज्य एवं केन्द्र सरकार के भुगतान में वितिथि (डिफॉल्टर) न हों तथा इस संबध में आवश्यक प्रमाण पत्र उनके द्वारा पिकप/यू.पी.एफ.सी. को उपलब्ध कराया जाए।

6 प्रतिवन्ध

पात्र इकाई पर प्रतिबंध होगा कि वह बिना पिकप/यू.पी.एफ.सी. के पूर्व लिखित स्वीकृति के न तो इकाई के कॉन्स्टीट्यूशन, फैक्ट्री तथा पंजीकृत कार्यालय में परिवर्तन करेंगे और न ही इकाई अपनी परिसम्पत्तियों को बेचेगी, किराये पर देगी या परिसम्पत्ति के स्वामित्व में कोई परिवर्तन करेगी।

7 शर्त-6 के उल्लंघन का प्रभाव

यदि पात्र इकाई द्वारा उपरोक्त प्रस्तर-6 की किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है अथवा गलत तथ्य उपलब्ध कराये जाते हैं तो पिकप/यू.पी.एफ.सी. को इकाई को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, स्वीकृत ऋण निरस्त करने का अधिकार होगा तथा ऐसे आदेश की प्राप्ति तिथि को सम्पूर्ण अवशेष धनराशि देय हो जायेगी। अवशेष ऋण के भुगतान में देरी की दशा में पात्र इकाई ऋण देय होने की तिथि तथा वास्तविक भुगतान की तिथि की अवधि के लिये 1.25 प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज की देनदार होगी।

8 पात्र इकाई के दायित्व

ऋण देयता की अवधि में, पात्र इकाई के लिये निम्नलिखित व्यवस्था आवश्यक होगी :-

I. उन सभी अनुबन्ध तथा अभिलेखों को निष्पादित किया जायेगा जो पिकप/यू.पी.एफ.सी के मतानुसार आवश्यक हो।

II. वह सभी सूचनायें पिकप/यू.पी.एफ.सी. को उपलब्ध करायी जायेंगी, जो उनके द्वारा अपेक्षा की जायें।

9 न्यायालय के क्षेत्राधिकार

किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में केवल लखनऊ में स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में पिकप/यू.पी.एफ.सी. द्वारा इकाई को "अण्डर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग" से भेजी गयी सूचना/ नोटिस आदि विधिवत् तामील मानी जायेगी।

10 व्यय भार

ब्याज मुक्त ऋण में आने वाले सभी व्यय जिसमें विधिक विलेख निष्पादित करने में आने वाले व्यय, स्टैम्प शुल्क, अधिवक्ता, [illegible] शुल्क व अन्य आनुषंगिक व्यय शामिल हैं, पात्र इकाई द्वारा अंतिम रूप से देय होगा।

1	अनुबन्ध		इस नियमावली के प्रतिबंध / प्राविधान लागू करने के लिये पात्र इकाई पिकप / यू.पी.एफ.टी. के साथ अनुबन्ध निष्पादित करेगी।
2	समस्याओं का समाधान तथा योजना का अनुश्रवण	i.	इस योजना के किसी बिन्दु पर शंका निवारण अथवा समस्या समाधान हेतु आदेश औद्योगिक विकास विभाग द्वारा जारी किया जायेगा।
		ii.	इस योजना के अन्तर्गत कार्यवाही का अनुश्रवण सचिव औद्योगिक विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित एक समिति करेगी जिसमें निम्न सदस्य होंगे- क. सचिव, वित्त ख. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग एवं अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु। ग. प्रबन्ध निदेशक, पिकप। घ. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम।

आज्ञा से,

(राकेश गर्ग)
सचिव,
औद्योगिक विकास विभाग

अनुलग्नक-1

पूर्वान्चल	
क्रम सं०	जनपद का नाम
1	2
1.	वाराणसी
2.	चन्दौली
3.	गाजीपुर
4.	जौनपुर
5.	मिर्जापुर
6.	सोनभद्र
7.	संत रविदास नगर
8.	गोरखपुर
9.	महराजगंज
10.	देवरिया
11.	कुशीनगर
12.	बस्ती
13.	संत क० नगर
14.	सिद्धार्थनगर
15.	आजमगढ़
16.	मउ
17.	बलिया
18.	इलाहाबाद
19.	कौशाम्बी
20.	फतेहपुर
21.	प्रतापगढ़
22.	फैजाबाद
23.	अम्बेडकरनगर
24.	बाराबंकी
25.	सुल्तानपुर
26.	गोण्डा
27.	बलरामपुर
28.	बहराइच
29.	श्रावस्ती